उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-05/2026/आई/1358538/2026/10-22099/1401/2020
लखनऊः दिनांक 09 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2026 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनन्तिम पेंशन आहरित कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पूर्व में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-संख्या-28/2025/आई/113740 4/2025-फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक-10 नवम्बर, 2025 द्वारा दिनांक 01.07.2025 से देय महँगाई राहत की मासिक दर 474 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी।

2- उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को निम्न तालिका के अनुसार मासिक दर पर महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

तिथि जब से देय है	महँगाई राहत की मासिक दर
01.01.2026	483 प्रतिशत

3- ऐसे सेवानिवृतुत कर्मचारियों, जिन्हें पंचम वेतनमान के अधीन स्वीकृत अपुनरीक्षित अन्तिम दरों पर पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4- चूँकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिये यह प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करेंगे।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन। ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० शासन
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in